महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

सामान्य सूचना तथा निर्देश एवं कन्या छात्रावास मेस हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र मूल्य रु. १०००/— मात्र

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में विद्यार्थियों एवं स्टॉफ की सुविधा के लिये तीन श्रेणियों में (अ) कैन्टीन विश्वविद्यालय परिसर में (ब) कैन्टीन — कृषि प्रक्षेत्र में (स) कन्या छात्रावास मेस के लिये अलग—अलग कैन्टीन एवं मेस के लिये अलग—अलग निविदा 03 लिफाफा पद्धति पर आमंत्रित किया जाता है। प्रथम लिफाफा (अ) में निविदा फार्म के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट रु. 1000/— जो वापस नहीं होगा तथा अमानत राशि रुपया 5000/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट रहेगा। द्वितीय लिफाफा (ब) में फर्म का विवरण, टर्नओवर इत्यादि का उल्लेख किया जाये। तृतीय लिफाफा (स) में सामग्री की दरें (Financial bid) अंकित की जायेगी। सर्वप्रथम प्रथम एवं द्वितीय लिफाफे खोले जायेंगे। उपयुक्त फर्मों का चयन आगे दिये गये विवरण अनुसार अंकित शर्तों के आधार पर किया जायेगा। समिति आवश्यकतानुसार फर्मों का निरीक्षण करेगी एवं केवल उपयुक्त फर्मों का लिफाफा क्र. 03 (Financial bid) खोला जायेगा।

कैन्टीन एवं मेस — नियम एवं शर्तें: — दोनों के लिये अलग—अलग निविदा फार्म होंगे।

१. निविदा फार्म का मूल्य रु० 1000/— (रुपये एक हजार) होगा जो वापस नहीं होगा।

२. अमानत राशि रु. 5000/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट कुलसचिव, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के नाम देय हो जमा करना आवश्यक है। जिन पार्टियों की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन पार्टियों के डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा, परन्तु टेण्डर पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक यदि कोई पार्टी अपना प्रस्ताव बीच में वापस लेती है अथवा टेण्डर का आशय पत्र दिये जाने पर ठेका लेने से इंकार करती है या प्रक्रिया के दौरान कोई शिकायत पायी जाती है तो उक्त धनराशि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

३. छात्र कल्याण अधिष्ठान् से निविदा फार्म प्राप्त कर एवं जमा करने की अंतिम तिथि 11-10-2017 अपरान्ह 1.00 बजे तक है एवं निविदा फार्म दिनांक 11-10-2017 को अपरान्ह 1.30 पर खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

४. कैन्टीन एवं मेस प्रथमतः एक वर्ष के लिये निविदाकर्ता को चलाने के लिये दी जायेगी। कैन्टीन एवं मेस समिति वर्ष के अन्त में निविदाकर्ता के अनुरोध पर मेस के संचालन के गुण दोष का अध्ययन करने के पश्चात कैन्टीन एवं मेस का कार्यकाल एक—एक (दो बार) बढ़ाने के लिये अनुशंसा कर सकती है।

५. कैन्टीन एवं मेस में बिजली एवं पानी तथा किचेन के स्थान की व्यवस्था होगी। बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान (विजली— मीटर रीडिंग अनुसार एवं पानी रु. ३००/— प्रतिमाह) कैन्टीन/मेस ठेकेदार द्वारा देय होगा।

६. कैन्टीन एवं मेस चलाने हेतु मेस भवन में जो फर्नीचर उपलब्ध हैं के अतिरिक्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था मेस ठेकेदार को करना होगा।

८. विश्वविद्यालय कैन्टीन भवन का किराया रु. ६०००/— प्रतिमाह, कृषि प्रक्षेत्र कैन्टीन का किराया २०००/— प्रतिमाह एवं कन्या छात्रावास मेस का किराया रु. १०००/— प्रतिमाह कैन्टीन/मेस ठेकेदार द्वारा देय होगा।

९. साफ—सफाई एवं लेन—देन की व्यवस्था मेस ठेकेदार की होगी। कामर्सियल एल.पी.जी. सिलेण्डर का उपयोग होगा।

१०. कैन्टीन एवं मेस अव्वल दर्जे की होनी चाहिये जिसमें मेस संचालक के पास वाटर कूलर, Water purifer तथा कूलर आदि होना चाहिये।

११. मेस में लकड़ी एवं कोयले का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

१२. कैन्टीन एवं मेस संचालन में प्लास्टिक के वर्तन जैसे — ग्लास, कटोरी, थाली आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

१३. बनी हुई सामग्रियों की साफ—सफाई का विशेष ध्यान देना होगा।

१४. कैन्टीन/मेस में आमिष (मांसाहारी) एवं मद्य पदार्थ का विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः निषेध होंगे।

१५. पैक आइटम— MRP से अधिक दर पर विक्रय नहीं किया जायेगा।